

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0-1451/2011

संस्थित दिनांक-20.12.2011

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद,  
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1.प्रीतम जाटव पुत्र बलवंत जाटव आयु 45

2.पूरन जाटव पुत्र बलवंत जाटव आयु 42

निवासी ग्राम चितौरा थाना गोहद

3.ब्रजेश जाटव पुत्र गोपाल जाटव आयु 46

निवासी हाथी खाना मुरार,जिला ग्वालियर म0प्र0 .....अभियुक्तगण

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 15.07.16 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 342/34,323/34,506भाग-2के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 22/11/11 को आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत ग्राम चितौरा में सुबह करीब 10:00बजे फरियादी के घर के सामने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी देवेश जाटव को मार्सल जीप में बंद कर उसे निश्चित परिसीमा से जाने से निवारित कर सदोष परिरोध कारित किया, एवं सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी की मारपीट लातघूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी देवेश को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 22/11/11 को सुबह करीब 10:00बजे अभियुक्तगण सफेद रंग की मार्सल गाडी लेकर फरियादी देवेश जाटव के घर पहुंचे और गाली देकर बोले कि देवेश उनकी लडकीको उल्टे सीधे फोन क्यो करता है जब फरियादी ने कहा कि क्या बात है तो अभियुक्तगण बोले कि देवेश को बुलाओ तो देवेश के आने पर उसे अभियुक्तगण मार्सल गाडी में जबरन पकड़कर मुरार तरफ चले गये । फरियादी लालसिंह द्वारा मोटरसायकिल से उनका पीछा किया तो देखा कि शहीद गेट मुरार पर उक्त अभियुक्तगण बंदूक के वटों से देवेश की मारपीट कर रहे थे जिससे देवेश के गुप्तांग औरपीठ व शरीर में कई जगह चोटें आईं। आहत को

कही पटककर गाड़ी लेकर जाते समय बोले कि आज तो बच गया लड़की को दुवारा फोन पर बात की तो जान से मार दूँगा। उक्त आशय के सूचना थाना मुरार, में दी गई जिससे शून्य पर अपराध की कायमी कर चिकित्सकीय परीक्षण के लिये भेजा। बाद में दिनांक 22/11/11 को थाना गोहद में अप0क0 273/11 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्तगण को पद क0 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दप्रस की धारा 313 के अधीन अभियुक्तगण द्वारा उनके निर्दोष होने व रंजिशन फंसाए जाने का कथन किया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या दिनांक 22/11/11 को आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत ग्राम चितौरा में सुबह करीब 10:00 बजे फरियादी के घर के सामने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी देवेश जाटव को मार्शल जीप में बंद कर उसे निश्चित परिसीमा से जाने से निवारित कर सदोष परिरोध कारित किया?
2. क्या उक्त दिनांक समय पर फरियादी देवेश के शरीर पर कोई चोटें मौजूद थी, यदि हाँ तो उनकी प्रकृति ?
3. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को अभियुक्तगण द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट लातघूसों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी देवेश को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
4. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी एवं आहत को जान से मारने की धमकी देकर मृत्यु का भय उत्पन्न कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में देवेश अ0सा0 1, लालसिंह अ0सा0 2, राजकुमार अ0सा0 3, नाथूराम जाटव अ0सा0 4, डा0 पी0सी0 सक्सैना अ0सा0 5 तहसीलदारसिंह भदौरिया अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से बचाव में साक्षी अनन्तराम गर्ग ब0सा0 1 की साक्ष्य कराई गयी है।

6. तथ्य एवं साक्ष्य में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

7. प्रकरण में आहत देवेश अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 22.11.2011 को सुबह दस बजे वे अपने गौडा में भैंसों की सानी कर रहे थे तभी आरोपीगण प्रीतम, पूरन और ब्रजेश आए बोले कि मादरचोद देवेश कहां हैं, मेरे पैसे दो। साक्षी कथन करता है कि उसने कहाकि अभी उसका भाई नहीं हैं भाई आ जाए तो बात कर लेना फिर आरोपीगण उसे

मारने पीटने लगे और उसे मार्शल गाडी में डाल लिया और मुरार की तरफ ले गय और मारपीट कर शहीद गेट मुरार में पटक कर चले गए फिर उसका भाई लालसिंह, नाथूराम तथा हरविलास आ गए जिन्होंने पहचानकर उसे इलाज हेतु बिरला अस्पताल ले गए थे। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही कर उसकी चोट के संबंध में पूछे जाने पर स्वीकार किया कि उसे मारपीट से गुप्तांग में चोट आई थी किन्तु इस तथ्य से अस्वीकार किया कि आरोपीगण कह रहे थे कि अगर उनकी लडकी को परेशान करेगा तो जान से मार देंगे। इस प्रकार से यह साक्षी अभियुक्तगण द्वारा उसे जबरन गाडी में ले जाने, मारपीट करने, शहीद गेट मुरार पर फेंक देने के संबंध में कथन करता है।

8. प्रकरण में आहत का भाई लालसिंह अ0सा0 2 फरियादी है जो यह कथन करता है कि घटना दिनांक 22.11.11 के सुबह करीब 9 बजे की है। उसके घर आरोपीगण दरवाजे पर पहुंचे और कहा कि देवेश कहाँ हैं तो साक्षी द्वारा देवेश को अंदर से बुलाया। अभियुक्तगण देवेश को पकड़कर बुलेरो गाडी में डाल लिया और गाडी लेकर भाग गए। वह पीछे पीछे मोटरसाईकिल से गया तो देखा कि शहीद गेट के पास नदी के पास आरोपीगण देवेश को मार रहे थे और जब वह चला तो उसने अपने भाई को फोन कर दिया जो घटनास्थल पर आ गया था। इसके अलावा परिचित नाथूराम एवं हरविलास आ गए थे, जिन्होंने बचाया। यह कथन करता है कि आरोपीगण भाग गए और कह रहे थे कि देवेश आज तो बच गया आइंदा जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद साक्षी थाना मुरार में घटना की रिपोर्ट करना बताता है और देवेश को बिरला अस्पताल में भर्ती किए जाने का तथ्य प्रकट करता है। साक्षी के कथनों की पुष्टि राजकुमार अ0सा0 3 इस रूप में करता है कि उसे उसका भाई लालसिंह का फोन आया कि आरोपीगण देवेश को मारते हुए ग्वालियर तरफ ले जा रहे हैं तो वह कुमरपुरा से मुरार की तरफ आया और शहीद गेट के पास गाडी एक तरफ खड़ी करके बंदूकों से अभियुक्तगण उसके भाई को मार रहे थे, साक्षी के पहुंचने पर छोड़कर भाग गए थे। नाथूराम अ0सा0 4 यह कथन करते हैं कि सुबह 11 बजे अपने गांव दहिया से मुरार ग्वालियर अपनी मोटरसाईकिल से जा रहे थे। मुरार में एक नाला पडता है वहां शहीद गेट पर आरोपीगण देवेश को लात, बंदूक के बटों से मार रहे थे तब मौके पर लालसिंह व राजकुमार आ गए और बीच बचाव करने पर आरोपीगण जान से मारने की धमकी देकर चले गए। यह साक्षी भी देवेश को इलाज के लिए बिरला अस्पताल में ले जाना बताते हुए उसके गुप्तांग में चोट होना बताता है। प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से यह बचाव लिया गया है कि फरियादी एवं आहत के परिवार से अभियुक्तगण की पुरानी रंजिश थी इस कारण से उन्हें मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। रंजिश के संबंध में देवेश अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 8, लालसिंह अ0सा0 2 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12, राजकुमार ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनकी अभियुक्तगण से जमीन संबंधी प्रकरण को लेकर विवाद चला आ रहा है और काफी समय से रंजिश

चली आ रही है। ऐसे में जहां रंजिश का तथ्य उभयपक्षों की ओर से अभिलेख पर मौजूद है ऐसे में अभियोजन साक्ष्य को सूक्ष्मता से परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

9. साक्षी हरविलास को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रकरण में फरियादी लालसिंह द्वारा थाना मुरार जिला ग्वालियर में दी गयी सूचना से शून्य पर कायमी प्राथमिकी प्रकरण में संलग्न हैं जिसमें कि उसे दर्ज कराए जाने का समय 18:10 बजे बिरला अस्पताल में भर्ती कराने के बाद प्राथमिकी लेखबद्ध कराए जाने का विलंब का स्पष्टीकरण दिया गया है। प्रकरण में आहत देवेश द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण घटना दि0-22.11.11 को सुबह दस बजे आए थे और उन्होंने आकर कहा था कि देवेश कहां हैं, उनके पैसे दो। तब यह कथन करता है कि उसने बताया कि उसका भाई नहीं हैं भाई आ जाए तो बात कर लें किन्तु आरोपीगण उसे मारपीट कर गाडी में डालकर ले गए। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि घटना के समय राजकुमार एवं लालसिंह उसके भाई उस समय हार अर्थात खेत में थे और घर पर उसकी मां थी। साक्षी लालसिंह अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन करता है कि आरोपीगण ने उससे आकर पूछा था कि देवेश कहां हैं और आरोपीगण देवेश को बुलेरो गाडी में डालकर ले जा रहे थे तो उसने आरोपीगण का पीछ किया। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में यह साक्षी स्पष्ट करता है कि वह बाहर से भूसा लाया था और अपने घर में डाल रहा था और घटना के समय घर पर और कोई नहीं था, वह अकेला था। इस प्रकार से उक्त दोनों ही साक्षी घटना के समय फरियादी लालसिंह की घटनास्थल फरियादी के घर पर उसकी उपस्थिति के संबंध में विरोधाभासी कथन कर रहे हैं।

10. प्रकरण में आहत देवेश यह कथन करता है कि अभियुक्तगण उसके घर से उसे मार्शल गाडी में डालकर ले गए थे। घटना के समय उनके मोहल्ले में 10-12 कण्डिका 4 में होना स्वीकार करते हैं और घरों में गांव के लोग उस समय अपने अपने काम करने के संबंध में कथन करते हैं किन्तु उनमें से कोई साक्षी नहीं बनाया गया है। लालसिंह अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में कथन करते हैं कि उनके मकान के पास भगवानसिंह, कन्हईलाल, नारायण के मकान बने हैं और उस समय घर पर ही रहते हैं किन्तु उनमें से कोई भी साक्षी घटना का साक्षी नहीं हैं। जो साक्षी घटना के साक्षी बनाए गए हैं उनमें आहत का सगा भाई राजकुमार एवं आहत का बुआ का लडका नाथूराम एवं हरविलास हैं जिनसे संबंध होना आहत देवेश अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में, लालसिंह ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 6 में, राजकुमार अ0सा0 3 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में, नाथूराम अ0सा0 4 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में संबंध स्वीकार किया है। इस प्रकार से जहां कि आहत के घर के आसपास का एवं उसे घटनास्थल ग्राम चितौरा से मुरार तक शहीद गेट तक ले जाते समय का कोई भी साक्षी एवं कथित शहीद गेट मुरार के आसपास या वहां



मौजूद कोई भी स्वतंत्र साक्षी अभियोजन साक्ष्य सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसका कोई उचित कारण अभिलेख पर नहीं हैं। अनुसंधानकर्ता तहसीलदारसिंह अ0सा0 6 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने चितौरा गांव के सरपंच व चौकीदार से घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की और स्वीकार किया है कि जो साक्षी फरियादी पक्ष द्वारा बताए गए उन्हीं साक्षियों के कथन लिए। अनुसंधानकर्ता प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में सभी साक्षी ग्राम चितौरा के निवासी बताता है जबकि साक्षी नाथूराम अ0सा0 4 ग्राम दहिया थाना बिजौली-रतवाई जिला ग्वालियर का होना स्वयं को बताता है और बिना परीक्षण किए गए साक्षी हरविलास का पता भी अभियोगपत्र के अनुसार ग्राम गुईया लेख किया गया है न कि ग्राम चितौरा। ऐसे में कोई स्वतंत्र साक्षी अभियोजन साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है।

11. प्रकरण में आहत देवेश अ0सा0 1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करता है कि उसे चितौरा से दस सवा दस बजे पकड़कर आरोपीगण ग्वालियर तरफ मुरार ले गए थे और शहीद गेट तक लाए थे जहां उसे बेहोश करके डाल दिया था। साक्षी कण्डिका 5 में यह कथन करता है कि आरोपीगण ने शहीद गेट पर उसकी मारपीट की थी किन्तु उसी कण्डिका में कथन करता है कि शहीद गेट पर उसकी कोई पिटाई नहीं की बल्कि गाडी में पिटाई की थी, शहीद गेट पर उसे फेंककर चले गए थे। यह कथन करता है कि जब उसे गाडी से फेंका तब वह बेहोश था और जब उसका भाई लालसिंह व हरविलास ने पानी डाला तब उसे होश आया था। जबकि साक्षी लालसिंह प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह कथन करते हैं कि जब वह शहीद गेट पर पहुंचा तो मोटरसाईकिल से अकेला पहुंचा था हरविलास व नाथूराम भीड़ के बाद आए, खड़े दिखे थे, पहले आरोपीगण द्वारा अपने भाई की बंदूक के बटों से मारपीट करना बताता है और बंदूक के बटों से मारपीट के समय स्वयं आहत के उपर हो जाने (बचाव में) हो जाने का कथन करता है जबकि आहत ने स्वयं कथित शहीद गेट पर आरोपीगण द्वारा मारपीट किए जाने का कोई कथन नहीं किया है मात्र उसे गाडी से फेंक देने का कथन किया है। राजकुमार अ0सा0 3 कथन करता है कि जब वह शहीद गेट केपास पहुंचा तो बंदूक के वटों से आरोपीगण उसके भाई को मार रहे थे और यह कथन करता है कि देवेश जमीन पर पीठ के बल उल्टा डला था। नाथूराम अ0सा0 4 भी कथन करते हैं कि आरोपी प्रीतम ने लात और ब्रजेश ने बंदूक के बट से देवेश को मारा था। इस प्रकार से उक्त साक्षीगण आहत देवेश के कथन से विरोधाभासी कथन कर रहे हैं।

12. प्रकरण में आहत देवेश अ0सा0 1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह कथन करता है कि उसके शरीर, पीठ, पैर, गुप्तांग में चोट थी और अपने शरीर में आठ नो चोटें होने बता रहा है। लालसिंह अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12 में देवेश के पीठ, छाती, मुंह व गुप्तांग में शरीर में 4-6 जगह चोट होना बताता है तथा राजकुमार अ0सा0 3 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में

आहत देवेश को अनुमान से भी कितनी चोटें आई थी, बताने में अस्मर्थ है। प्रकरण में चिकित्सक पी0सी0 सकसैना अ0सा0 5 के रूप में परीक्षित कराए गए जो यह कथन करते हैं कि दिनांक 22.11.2011 को सांय 5:45 बजे बिरला अस्पताल में आहत देवेश को उसका भाई राजेश लाया था और परीक्षण में देवेश को अण्डकोष के नीचे एवं अण्डकोष के पैरीनियल भाग में दर्द व सूजन और दबाने पर दर्द के संबंध में कथन करते हैं। उनके द्वारा आहत के परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की उक्त साधारण प्रकृति की चोट बताते हुए चिकित्सीय प्रतिवेदन प्र0पी0 3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि आहत देवेश अ0सा0 1, लालसिंह अ0सा0 2 द्वारा जो चोटें बताई गयी हैं उनमें से मात्र अण्डकोष की चोट वह भी दर्द के रूप में चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा कथन की गयी है। यदि आहत के शरीर में अभिकथित 8-9 अथवा 4-6 चोटें थी तो चिकित्सीय साक्षी द्वारा उक्त चोटें क्यों नहीं पाई गयी इसका कोई कारण अभिलेख पर नहीं हैं। यहां यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि देवेश अ0सा0 1 उसे बिरला अस्पताल उसके भाई लालसिंह, नाथूराम, हरविलास द्वारा ले जाना बताते हैं। लालसिंह भी देवेश को बिरला अस्पताल ले जाने का कथन मुख्य परीक्षण में करते हैं राजकुमार स्वयं साथ में बिरला अस्पताल में ले जाना बताते हैं और नाथूराम अ0सा0 4 स्वयं, लालसिंह, राजकुमार द्वारा आहत को बिरला अस्पताल ले जाना बताते हैं। परंतु फिर भी प्र0पी0 3 के चिकित्सीय प्रतिवेदन एवं डा0 पी0सी0 सकसैना अ0सा0 5 के कथन के अनुसार आहत देवेश को उसका अन्य भाई राजेश जो कि मौके पर ही नहीं था, किस प्रकार से मेडीकल परीक्षण हेतु ले गया है, इसका कोई समुचित स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं हैं।

13. प्रकरण में फरियादी देवेश अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में कथन करता है कि उसे चितौरा से दस सवा दस बजे आरोपीगण पकडकर ग्वालियर की तरफ मुरार ले गए थे। किन्तु प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह बताने में अस्मर्थ है कि कितने बजे हरविलास, राजकुमार व नाथूराम शहीद गेट पर पहुंच गए थे। लालसिंह अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में स्वयं गाडी चलाकर पांच मिनट बाद घर से निकलना बताता है और अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में देवेश को शाम चार बजे अस्पताल में भर्ती कराना बताता है, शहीद गेट घटनास्थल पर दस बजे आ जाना बताता है और घटनास्थल पर दो तीन घण्टे तक देवेश के पड़े रहने का कथन कण्डिका 11 में करता है। राजकुमार अ0सा0 3 दस बजे शहीद गेट पर पहुंचना कण्डिका 2 में बताते हैं और उसके पहुंचने के 10-15 मिनट बाद लालसिंह का आ जाना कण्डिका 5 में बताते हैं और फिर इसी कण्डिका में लालसिंह देवेश को सीधे थाने ले गया था और फिर देवेश को अस्पताल ले गए थे, ऐसा कथन करते हैं। यह साक्षी अस्पताल में देवेश को 11 बजे भर्ती करना बताते हैं। नाथूराम अ0सा0 4 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में अपने गांव से 9:30 बजे मुरार की ओर चलना और 10:45 बजे मुरार आ जाना बताते हैं और अभिकथित मारपीट के बाद लालसिंह का उसके पहुंचने के दो मिनट बाद आना बताते हैं। घटनास्थल पर करीब दस मिनट रुकना बताते हैं और उसके बाद

मोटरसाईकिल से देवेश को बिरला अस्पताल ले जाना बताते हैं। इस प्रकार से उक्त सभी साक्षी परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं जिसमें कि स्वयं लालसिंह घटनास्थल पर उसके भाई देवेश का शाम के चार बजे तक घटनास्थल से अस्पताल ले जाना बता रहे हैं जबकि राजकुमार जो कि उसका सगा भाई देवेश को 11 बजे अस्पताल में भर्ती करना बता रहा है। ऐसे में सभी हितबद्ध साक्षी होकर भी परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं जो कि गंभीर संदेह उत्पन्न करता है।

14. देवेश अ0सा0 1 जो अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 4 में उसे अभियुक्तगण द्वारा घर से ले जाते समय अपने भाई लालसिंह व राजकुमार का हार या खेत में होना बता रहा है। लालसिंह अ0सा02 घटना के समय स्वयं उपस्थित होना बता रहा है। राजकुमार जो कि घटना के समय कुम्हरपुरा मुरार पर उसके भाई लालसिंह का फोन आने पर शहीद गेट पर पहुंचना बता रहा है। तीनों ही साक्षी और सगे भाई उनकी घटना के समय उपस्थिति के संबंध में परस्पर विरोधाभासी कथन कर रहे हैं। देवेश अ0सा0 1 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में यह कथन करते हैं कि उसके भाई लालसिंह मोटरसाईकिल नहीं चला पाते। लालसिंह अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि वे आरोपीगण की गाड़ी के पीछे पांच मिनट बाद ही निकल गए थे और कण्डिका 5 में कथन करते हैं कि वे मोटरसाईकिल चला लेते हैं लेकिन धीरे धीरे चला पाते हैं। कण्डिका 7 में शहीद गेट मुरार में मोटरसाईकिल से अकेला पहुंचना बताते हैं और मौके पर रामकुमार अर्थात् भाई और उसकी बहुए बगैरह पहुंचना बताते हैं। नाथूराम अ0सा0 4 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में पहले स्वयं का शहीद गेट पर पहुंचना बता रहे हैं उसके दो मिनट बाद लालसिंह का पहुंचना बता रहे हैं, मौके पर लालसिंह व राजकुमार का पैदल पहुंचने का कथन करते हैं, कण्डिका 3 में और स्पष्ट करते हैं कि राजकुमार मोटरसाईकिल लेने घर गया था उस समय तक देवेश बेहोश था। ऐसे में जो कथित मोटरसाईकिल लालसिंह द्वारा चलाकर चितौरा गांव से शहीद गेट मुरार तक जा सकती थी क्या ऐसी मोटरसाईकिल शहीद गेट मुरार से बिरला अस्पताल तक नहीं जा सकती थी। इस प्रकार से उपरोक्त विवेचन का आशय उक्त साक्षियों के परस्पर विरोधाभासी एवं बडबड कर घटना को अलंकृत करने के प्रयास को दर्शा रहा है।

15. प्रकरण में देवेश अ0सा0 1 अपने मुख्य परीक्षण की कण्डिका 1 में अभियुक्तगण द्वारा उससे पैसे मांगने की बात बताते हैं जबकि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अभियुक्तगण से आहत एवं उसके भाईयों की जमीनी रंजिश विद्यमान हैं ऐसी दशा में जमीनी रंजिश के रहते हुए किस बात के पैसे लेने थे इसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है। यहां तथ्य ध्यान देने योग्य है कि देवेश अ0सा0 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 7 में उसके पुलिस कथन की ओर ध्यान दिलाए जाने पर कि ब्रजेश ने उससे कहा हो कि "मादरचोद देवेश मेरी लडकी से फोन पर उल्टी सीधी बात करता है" पुलिस को दिए जाने से इंकार किया गया है। इसी प्रकार से साक्षी लालसिंह अ0सा0 2 कण्डिका 10

में प्र0पी0 1 में यह तथ्य लिखाने से इंकार करता है कि प्रीतम ने उससे कहा कि देवेश कहां हैं, वह मेरी लडकी को फोन क्यों करता है, पुलिस कथन में भी उक्त बात नहीं लिखाए जाने का कथन करते हैं। जबकि उक्त तथ्य रिपोर्ट, पुलिस कथनों में उल्लेखित है जो कि विरोधाभास की श्रेणी में आते हैं।

16. प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से खण्ड शिक्षा अधिकारी अनन्तराम गर्ग ब0सा0 1 को प्रस्तुत किया गया है जो खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर जुलाई 2012 से पदस्थ होना बताते हैं और उनके कार्यालय में अभियुक्त पूरनसिंह का सहा0 ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ होने एवं कथित घटना दिनांक 22.11.2011 को अभियुक्त पूरन के उनके कार्यालय में 10:30 से 5:30 बजे तक उपस्थित रहने के संबंध में कथन करते हुए उपस्थिति पंजी प्र0डी0-1 जिसकी छायाप्रति प्र0डी0-1 के रूप में प्रस्तुत की गयी है उसमें अभिकथित घटना दिनांक 22.11.2011 को उपस्थित रहने का प्रमाणीकरण देते हैं। इस साक्षी से अभियोजन की ओर से सुझाव दिया गया कि दिनांक 22.11.2011 को अभियुक्त पूरन विलंब से कर्तव्य पर उपस्थित हुआ तो साक्षी ने उक्त सुझाव से इंकार किया और स्पष्टीकरण दिया कि यदि कर्मचारी देर से आता है तो उसकी उपस्थिति का समय अंकित किया जाता है। यहां भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 114 ड की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित होता है जिसमें एक सामान्य कारवार के अनुक्रम में रखे जाने वाले दस्तावेजों के सम्यक ढंग से निष्पादित व संधारित किए जाने की उपधारणा खण्डन के अभाव में की जा सकती है। बचाव साक्षी अनन्तराम गर्ग द्वारा प्र0डी0-1 के दस्तावेज को उनके कारवार के अनुक्रम में उचित रूप से संधारित न किया हो इस संबंध में कोई भी तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं।

17. प्रकरण में आहत देवेश अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में कथन करता है कि वह अस्पताल में एक दिन भर्ती रहा था और छुट्टी होने के बाद अस्पताल नहीं गया था। दिनांक 22.11.11 के पश्चात् पुलिस ने उसका कोई कथन नहीं लिया जबकि प्रकरण में आहत का कथन प्र0पी0 1 दिनांक 22.11.11 के पश्चात् दिनांक 18.12.11 को अनुसंधान कर्ता द्वारा लेख किया जाना दर्शित है। जहां तक आहत के अस्पताल में भर्ती रहने का प्रश्न है तो इस संबंध में उसके भाईयों के द्वारा अत्यंत बडबडकर कथन किया गया है। लालसिंह अ0सा0 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 11 में घटना के दूसरे दिन होश आने पर देवेश की छुट्टी करा लेने का कथन किया है जबकि राजकुमार प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में देवेश का बिरला अस्पताल में दो दिन भर्ती रहना और नाथूराम प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में देवेश का 24 घण्टे बाद होश आना बताते हैं। जबकि स्वयं देवेश अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 5 में उसके भाई लालसिंह व हरविलास के आने पर उस पर पानी डालने पर होश में आ जाना बताते हैं। इसी कण्डिका में राजकुमार के आने पर उसे पूर्णतः होश में होना बताया गया है। इस प्रकार से उक्त साक्षियों द्वारा इस संबंध में भी परस्पर विरोधाभासी कथन किया



गया है जो कि अभियुक्तगण से उनकी जमीनी पूर्व रंजिश के कारण मिथ्या आलिप्त किए जाने के बचाव को प्रबल करता है।

18. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत बर्की जोसफ बनाम केरल राज्य, ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1892 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की है कि सन्देह, सबूत का अनुकल्प नहीं है। “सत्य हो सकता है” और “सत्य होना चाहिए” के बीच काफी दूरी है और अभियोजन को अपना पक्ष समस्त युक्ति-युक्त सन्देह से परे साबित करने के लिए पूरा प्रयास करना होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उन्होंने दिनांक 22.11.11 को ग्राम चितौरा में सुबह करीब 10 बजे फरियादी लालसिंह के मकान के पास आहत देवेश को मार्शल जीप में बंदकर उसे निश्चित परिसीमा से परे जाने से निवारित किया व उसकी उपहति कारित करने के आशय से लातघूंसें से स्वेच्छा मारपीट की तथा उसे संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी दी हो। इस प्रकार से अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 342/34, 323/34, 506 भाग दो के आरोप प्रमाणित करने में अभियोजन असफल रहा है। अभियुक्तगण संदेह के लाभ को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः उक्त आरोपों से अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्तगण के पूर्व जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। दफ़्त की धारा 437 ए के तहत प्रस्तुत बंधपत्र व प्रतिभूति निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

20. अभियुक्तगण की निरोधावधि, यदि हो तो, प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही /—

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही /—

ए0के0 गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश